



2026: AHC: 2857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 40731 सन् 2025

रफीक अहमद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता :- अश्वनी कुमार मिश्रा, संदीप कुमार केशरी, विवेक

श्रीवास्तव विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री अजय सिंह को सुना गया तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक रफीक अहमद की ओर से, पुलिस थाना-लंका, जनपद-वाराणसी में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/29/60 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 61 सन् 2025 में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा वह दिनांक 26.04.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.02.2025 को इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि घटना की तिथि को मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल ने एक कंटेनर तथा एक महिन्द्रा एक्सयूवी 500 को रोककर 500 किलोग्राम गांजा बरामद किया और नामित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि न तो आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में अंकित है, न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया गया तथा न ही उसके कब्जे से अथवा उसके बताने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद की गई है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उसका नाम एक रफीक के कथन में प्रकाश में आया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक को केवल कथित कंटेनर का स्वामी होने के कारण मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। विस्तृत तर्क प्रस्तुत करने के उपरांत यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक लगभग आठ माह से कारागार में निरुद्ध है। दो आपराधिक पूर्ववृत्त के वादों का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के पैरा संख्या 30 में किया गया है। आवेदक जमानत पर उन्मोचित किए जाने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण के पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है; अतः, आवेदक किसी भी प्रकार की राहत की पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर उन्मोचित किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो जाएगा।

प्रकरण के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दंड की कठोरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की तार्किक आशंका, सार्वजनिक/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त प्रकरण है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध में संलिप्त आवेदकों- **रफीक अहमद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभु प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण में पूर्ण निष्ठा के साथ सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर मुक्त होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक की पहचान, स्थिति तथा निवास के प्रमाण एवं प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाएगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

दीपक/